

## विश्व व्यापार संगठन क्या है ? इसके उद्देश्यों और कार्यों का वर्णन करें।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने व्यापार में परिमाणात्मक प्रतिबन्धों को हतोत्साहित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के सुलझाने हेतु जिस GATT की स्थापना 30 अक्टूबर, 1947 को की गई थी उसका अस्तित्व 12 दिसम्बर, 1995 को समाप्त हो गया। उसके स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में एक अधिक शक्तिशाली संगठन 'विश्व व्यापार संगठन- WTO' की स्थापना की गई है। गैट के आठवें चक्र की वार्ता (जिसे उरुग्वे चक्र के रूप में जाना जाता है) के डंकल प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए अन्ततः 15 अप्रैल, 1994 को मोरक्को के मराकस नगर में गैट के 124 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कर दी गई। 30 दिसम्बर, 1994 को इस समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बन गया।

मुख्यालय एवं सदस्यता विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय गैट की ही भाँति जेनेवा में स्थित है। नवम्बर 1999 तक इसकी सदस्य संख्या 135 थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सदस्य देशों की संसदों द्वारा अनुमोदित एवं अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के आधार पर की गई है। अतः गैट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत WTO एक स्थायी संगठन है।

विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन तथा गैट सचिवालय द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार उरुग्वे दौर के पैकेज के परिणामस्वरूप व्यापार पर तैयार प्रभाव के रूप में सन् 2005 तक 745 अरब डॉलर के वस्तु व्यापार की वृद्धि होगी। संरचना (Structure): WTO की संरचना अथवा संगठन एक मंत्री सम्मेलन

(Ministerial Conference) द्वारा संचालित होता है जिसमें सब सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो कम से कम दो वर्ष में एक हैं। यह WTO की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को चलाता है और तदनुरूप आवश्यक कदम उठाता है। यह किसी भी बहुपक्षीय समझौते के अन्तर्गत सभी मामलों पर निर्णय लेता है। मंत्री सम्मेलन WTO की शीर्षस्थ अधिकारिणी समिति है। सब सदस्यों के प्रतिनिधियों वाली सामान्य काउन्सिल (General Council) WTO की कार्य प्रणाली पर और मंत्रीय निर्णयों पर नियमित रूप से दृष्टि रखती है। यह झगड़ा निपटान संस्था (Dispute Settlement Body) और व्यापार नीति पुनरावलोकन संस्था

(Trade Policy Review Body) के रूप में भी कार्य करती है, जिनके अलग-अलग अपने अध्यक्ष हैं। सामान्य काउन्सिल जेनेवा में औसतन प्रतिमास मिलती है। सामान्य काउन्सिल के अधीन ये संस्थाएँ भी हैं वस्तुओं के व्यापार की काउन्सिल (Council for Trade in Goods), सेवाओं के व्यापार की काउन्सिल (Council for Trade बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के व्यापार संबंधी विषयों की काउन्सिल (Council

for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS)। इन काउन्सिलों की अपनी सहायक संस्थाएँ हैं। ये काउन्सिल और उनकी सहायक संस्थाएँ अपने-अपने कार्य के लिए आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें करती हैं। फिर व्यापार और विकास समिति, भुगतान शेष रुकावटों की समिति तथा बजट, वित्त और प्रशासन समिति भी हैं जो WTO समझौते द्वारा प्रदत्त कार्य, बहु-पक्षीय व्यापार समझौता तथा सामान्य काउन्सिल के बताए हुए कार्य करती हैं।

WTO सचिवालय ( Secretariat) के शीर्ष पर डाइरेक्टर जनरल होता है। मंत्रीय सम्मेलन डाइरेक्टर जनरल का चयन करता है और उसके अधिकार, कर्तव्य, सेवा की शर्तें और पद की शर्तें निर्धारित करता है। डाइरेक्टर जनरल का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। उसके विभिन्न देशों से चुने हुए 4 सहायक होते हैं। डाइरेक्टर जनरल, कार्यालय के कर्मियों की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों तथा सेवा के नियमों का निर्धारण करता है जो मंत्रीय सम्मेलन द्वारा निश्चित नियमनों (regulations) के अन्तर्गत ही होते हैं। डाइरेक्टर जनरल बजट, वित्त और प्रशासन समिति को वार्षिक बजट के अनुमान और वित्तीय विवरण देता है और सामान्य काउन्सिल की अंतिम स्वीकृति के लिए सिफारिश करता है। सामान्य काउन्सिल दो-तिहाई के बहुमत से, जिसमें WTO के आधे से अधिक सदस्य शामिल हों, वार्षिक बजट के अनुमान और वित्तीय विवरण को पारित करती है। अंशदान का अनुपात तथा बजट संबंधी वित्तीय नियमन गैट के नियमों और परिपाटियों पर आधारित हैं।

WTO एकमत द्वारा निर्णय की पद्धति का अनुसरण करता है, जिसे गैट 1947 द्वारा निर्धारित किया गया था। जब एकमत द्वारा निर्णय सम्भव नहीं होता, तब विचाराधीन प्रश्न का हल 'एक देश एक वोट' के आधार पर 2/3 बहुमत द्वारा किया जाता है। परन्तु समझौतों के प्रावधानों की व्याख्या में मतभेद और किसी सदस्य के दायित्वों में छूट की दशा में सदस्यों का बहुमत 3/4 का होता है। तथापि सामान्य नियमों में संशोधन जैसे MFN व्यवहार, केवल सदस्यों की सर्वसम्मति से ही किया जा सकता है।

**उद्देश्य (Objectives) :** WTO के स्थापन समझौते की प्रस्तावना में निम्न उद्देश्य वर्णित हैं

1. व्यापार और वित्तीय प्रयासों के क्षेत्र में इसके संबंध इस प्रकार चलाए जाएंगे जिससे पूर्ण रोजगार सुनिश्चित होना और विस्तृत वास्तविक आय और प्रभावी मांग में लगातार वृद्धि द्वारा रहन-सहन के स्तर में सुधार हो तथा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार प्रसार हो।
2. विश्व के साधनों का इष्टतम उपयोग सततीय (sustainable) की दृष्टि से करना । इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना, और पर्यावरण रक्षा के साधनों का विस्तार आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप करना है।
3. निश्चयात्मक प्रयत्न करना जिससे विकासशील देश, विशेषतः निम्नतम विकसित देश अपने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में अपना उचित भाग पा सकें।
4. पारस्परिक और परस्पर लाभकारी व्यवस्थाएँ जिनके द्वारा टैरिफ और व्यापार की रुकावटें तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में पक्षपातकारी व्यवहार को हटाकर इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना ।

5. गैट में सम्मिलित, भूतकालीन व्यापार उदारीकरण के परिणाम और उरुगुवे दौर की सभी बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के फलस्वरूप अधिक स्थायी और व्यवहार्य बहुपक्षीय संगठित

व्यापार प्रणाली को विकसित करना ।

6. व्यापारिक नीतियों, पर्यावरण संबंधी नीतियों और सततीय विकास से संबंध स्थापित

**कार्य (Functions) :** WTO के निम्न कार्य हैं

1. यह समझौते और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रबंधन और संचालन सरल बनाता है।

2. यह नागरिक विमानन, सरकारी खरीददारी, दुग्धोत्पात व्यापार और गोमांस संबंधी को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और परिचालन के लिए उचित ढाँचे का प्रबंध करना है।

3. यह सदस्यों के लिए मंत्रीस्तरीयद्वारा स्वीकृत समझौतों संबंधी, बहुपक्षीय व्यापार संबंधी-विषयक वार्ताओं तथा इनके द्वारा किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए एकमंच प्रस्तुत करता है।

4. यह समझौते के झगड़ा-निपटान के नियमों तथा प्रक्रियाओं की व्याख्या का प्रबंध संचालन करता है।

5. यह IMF, विश्व बैंक तथा इसकी सहयोगी शाखाओं के मध्य विश्व व्यापार लिए नीति निर्धारण में अधिकतर संगति उत्पन्न करता है।